न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : सुरेन्द्रसिंह पुरोहित, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 03/2020

अपीलांट्स्स – *बनाम* **रेस्पोडेंट्स –**

अपीलांट्स्स –
1. बाबू पुत्र प्रतापा
2. देवा पुत्र प्रतापा
3. श्रीमती माडूदेवी पत्नी प्रतापा

जाति जाट निवासी खडीयाली नाडी राणासर खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. खरता पुत्र डूंगरा
2. धर्माराम पुत्र पुरखा
3. ओमा पुत्र पुरखा
4. वगता पुत्र पुरखा
5. वीरा पुत्र पुरखा
6. खेताराम पुत्र रेखाराम
7. श्रीमती इमरती पत्नी रेखाराम
8. हरदान पुत्र मगाराम
9. शाखा प्रबंधक बीसीसीबी शाखा नोखड़ा
10. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक/भू.अ./2020/1226 दिनांक 22.05.2020 जो तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा खातेदारी की भूमि को विभाजित करने हेतु पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री रामजीवन विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट्स्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री रोशनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 01से05 की ओर से उपस्थित।
3. श्री बांकाराम चौधरी, रेस्पो0 सं. 6से8 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेंट सं. 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
5. रेस्पोडेंट सं. 10 प्रफॉर्मा पक्षकार।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक : 26.07.2023

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार गुड़ामालानी के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 122[illegible] पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:19:14 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्[illegible] के खेत खसरा नबंर 493, 494 रकबा क्रमश: [illegible] रकबा 197–[illegible] भूमि खरता वल्द डूंगरा, खे[illegible] इमरती पत्नी रेखारा[illegible], ओमा, वगता, वीरा पिसरान पुरखा, बाबू, देवा पिसरान प्रतापा, हरदान वल्द मगा,

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

मु0 माडु पत्नी प्रतापा कौम जाट साकिन देह खातेदार के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान द्वारा आपसी सहमति से विभाजन इकरारनामा तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार गुड़ामालानी अपने आदेश क्रमांक : भू.अ. / 2020 / 1226 दिनांक 22.02.2020 के द्वारा संयुक्त खातेदारी का सहमति विभाजन स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.07.2020 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार गुड़ामालानी से अपीलाधीन अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की है। सह खातेदारान के मध्य भूमि के विभाजन हेतु नियमित वाद संख्या 68 / 2017 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी के समक्ष विचाराधीन था तथा उक्त वाद के संलग्न स्थगन प्रकरण संख्या 63 / 2017 भी प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी के समक्ष वाद में स्थगन आदेश प्रभावी था इसके बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 08 हलका पटवारी से मिलिभगत कर अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव गलत तरीके से स्वीकृत करवा दिया गया। अपीलाधीन आदेश में भूमि की उर्वरा स्थिति, पक्षकारान के कब्जा एवं सड़क सुविधा को ध्यान में रखा जाना आवश्यक था किन्तु अपीलाधीन आदेश में इस अहम मुद्दे को अनदेखा किया गया हैं। अपीलाधीन कार्यवाही अपीलांट्स को बिना बताए संपादित की गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 क में सहमति विभाजन के प्रावधान है तथा उक्त प्रावधान अनुसार भूमिधारी सहखातेदारान की भूमि विभाजन हेतु प्रस्तावित भूमि का भौतिक रूप से माप किया जाना आवश्यक है किन्तु हस्तगत प्रकरण में विभाजन किये गए खसरों का भौतिक रूप से माप एवं स[illegible] आधार पर अपीलाधीन आदेश खारिज योग्य है। अपीलाधीन आदेश [illegible] की अनुपस्थिति में पारित किया है जो एकपक्षीय आदे[illegible]तिक न्याय [illegible] सिद्धान्त के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य हैं। अपीलांट्स [illegible] कानूनी बारीकियों से अनभिज्ञ होने से इसका ज्ञान उसे नहीं हो सका। अ[illegible]धीन विभाजन के फलस्वरूप अपीलांट्स के हिस्से में आई भूमि मौके पर रेस्पोडेंट्स के कब्जे में है, लिहाजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:19:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

मौके पर कब्जा–काश्त एवं नक्शा ट्रेस में भिन्नता होने से अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश की पालना में नामान्तरकरण भी पारित कर दिया गया तथा लट्ठा ट्रेस में अलग–अलग तरमीम भी कर दी गई जिसकी जानकारी अपीलांट्स को नहीं हुई। अर्सा 20 दिन पूर्व 26.05.2020 को अपीलांट्स के रास्ता का पूछने पर हरदान ने बताया कि हमनें बटवाड़ा ही करवा लिया है। जब रेस्पोडेन्ट्स के बटवाड़ा का ज्ञान हुआ तथा नामान्तरकरण की प्रति प्राप्त की तथा अपीलाधीन आदेश की प्रति प्राप्त करने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को आवेदन किया जिस पर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा उक्त पत्रावली की दिनांक 26.05.2020 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की। प्रतिलिपि मिलने पर सर्वप्रथम जानकारी होने की दिनांक से सम्यक तत्परता से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई सद्भाविक देरी को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः अपीलांट्स की यह अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश निरस्त फरमाया जावें।

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 के अधिवक्ता ने इकबाली जवाब में अपीलांट्स की अपील की ताईद करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि में सभी सहखातेदार आपसी सहमति से किये बाहमी बंटवाडा अनुसार कब्जा–काश्त हैं तथा मौके पर पक्षकारान की पृथक–पृथक आवासीय ढ़ाणियां बनी हुई हैं। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सही आधारों पर प्रस्तुत की गई है तथा मौके पर पक्षकारान जिस प्रकार काबिज हैं उस अनुसार उनका विभाजन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार करते हुए मौके पर भूमि का सही रूप से विभाजन किये जाने हेतु सहमत है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

7. रेस्पोडेन्ट सं. 06 से 08 के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि अपीलांट्स व उत्तरदातागण ने विवादित भूमि का आपसी सहमति से मौके पर पूर्व में किये गए बाहमी बटवाड़ा व कब्जा–काश्त अनुसार सहमती से विधिवत बटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष उपस्थित हुए। तहसीदार गुड़ामालानी द्वारा दोनों पक्षों [illegible] समझाया, जिसे स्वीकार करते हुए हलका पटवारी के रूबरू हस्ताक्ष[illegible]ए। तहसीलदार द्वारा दोनों पक्षों से पूछताछ करने एवं [illegible] प्रदान [illegible] के बाद ही विभाजन प्रस्ताव को स्वीका[illegible]लौच्य विभाजन सही एवं विधिसम्मत है जिसे अपीलांट्स किसी प्रक[illegible]से निरस्त कराने के अधिकारी नहीं है। सहायक कलक्टर न्यायालय गुड़ामालानी में विचाराधीन वाद का लम्बे

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:19:14 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

समय तक निस्तारण नहीं होने के कारण समस्त सहखातेदारों ने मिलकर वादग्रस्त भूमि का सहमति से बटवाड़ा कराया गया है, जिससे उक्त वाद का कोई औचित्य नहीं है। उभय पक्षकारान उक्त बटवाड़े के अनुसार मौके पर काबिज है तथा अपने–अपने हिस्से पर निर्बाध रूप से काश्त कर रहे है। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील में रास्ते का कहकर विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कराने का तथ्य सरासर झूठा व मनगढ़त है। साथ ही अपीलांट्स के खाली पेपरों पर हलका पटवारी द्वारा हस्ताक्षर करवाने की बात भी पूर्णतया हास्यास्पद एवं काल्पनिक है। तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के नक्शा में भरे गए रंग देखने एवं समझने के बाद ही अपीलांट्स ने अपनी मर्जी से अंगुष्ठ निशान/हस्ताक्षर किये थे तथा अपीलांट्स जानकार व्यक्ति है। अब अपीलांट्स की नियत में खोट आने के कारण विभाजन आदेश को चुनौति दी गई है जो कतई विधिसम्मत नहीं है तथा अपीलांट्स की अपील पूर्णतया मयाद बाहर है। अतः अपीलांट्स की अपील सारहीन, मनगढ़त एवं बेबुनियाद आधार पर प्रस्तुत होने से खारिज फरमाई जावें।

8. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा खडीयाली नाडी के खेत खसरा नबंर 493, 494 रकबा क्रमशः 00–03, 197–10 बीघा कुल रकबा 197–13 बीघा भूमि खरता वल्द डूंगरा, खेताराम वल्द रेखाराम, इमरती पत्नी रेखाराम, धर्मा, ओमा, वगता, वीरा पिसरान पुरखा, बाबू, देवा पिसरान प्रतापा, हरदान वल्द मगा, मु0 माडु पत्नी प्रतापा कौम जाट साकिन देह खातेदार के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान द्वारा आपसी सहमति से विभाजन इकरारनामा तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार गुड़ामालानी अपने आदेश क्रमांक : भू.अ./2020/1226 दिनांक 22.02.2020 के द्वारा संयुक्त खातेदारी का सहमति विभाजन स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया। अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध यह अपील दिनांक 01.07.2020 को पेश की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के संबंध में प्रकट किया कि अर्सा 20 दिन पूर्व 26.05.2020 को अपीलांट्स के रास्ता का पूछने पर हरदान ने बताया कि हमनें बटवाड़ा ही करवा लिया है। जब रेस्पोडेन्ट्स के बटवाड़ा का ज्ञान हुआ तथा नामान्तरकरण की प्रति प्राप्त की तथा अपीलाधीन आदेश की प्रति प्राप्त करने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को आवेदन किया जिस पर [illegible] गुड़ामालानी द्वारा उक्त पत्रावली की दिनांक 26.05.[illegible] को [illegible] की। प्रतिलिपि मिलने पर सर्वप्रथम जानकारी होने की दिनांक [illegible] सम्यक तत्परता से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की [illegible] बटवाड़ा 22.05.2020 को हो गया था जो कि अपीलांट्स की उपस्थिति में उनकी सहमति से स्वीकृत किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:19:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

गया था। इसके बावजूद अपीलांट्स के कथन अनुसार यदि 26.05.2020 को अपीलाधीन आदेश की प्रमाणिल प्रतियॉ प्राप्त होने पर जानकारी हुई हों तो यह अपील दिनांक 01.07.2020 को प्रस्तुत होने से भी मयाद बाहर है।

9. अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलांट्स व उत्तरदातागण ने विवादित भूमि का आपसी सहमति से मौके पर पूर्व में किये गए बाहमी बटवाड़ा व कब्जा–काश्त अनुसार सहमती से विधिवत बटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष उपस्थित हुए। तहसीदार गुड़ामालानी द्वारा दोनों पक्षों को विभाजन प्रस्ताव पढ़कर समझाया, जिसे स्वीकार करते हुए हलका पटवारी के रूबरू हस्ताक्षर किये गए। तहसीलदार द्वारा दोनों पक्षों से पूछताछ करने एवं दोनों पक्षों द्वारा सहमती प्रदान करने के बाद ही विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। इस प्रकार आलौच्य विभाजन सही एवं विधिसम्मत है। एक बार सहमति देने के पश्चात् मौके की स्थिति को अपीलाधीन आदेश की सुसंगती में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता हैं। इस प्रकार हस्तगत अपील मेरिट पर दुर्बल होने के साथ ही मयाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं।

10. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।

11. निर्णय आज दिनांक 26.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

(सुरेन्द्रसिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:19:14 IST
Reason: SelfAttested